संख्या:31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 09 सितम्बर,2020

विषयः भारत सरकार द्वारा संचालित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" के कार्यान्वयन हेतु मार्ग-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 834 नि0शा0, दिनांक 21 जुलाई,2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से भारत सरकार की सेन्ट्रल स्कीम के अन्तर्गत "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" के कार्यान्वयन एवं प्रस्तावित मार्ग-निर्देशों को निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में नीली क्रान्ति मिशन के माध्यम से मत्स्य उत्पादन को बढाने हेतु पूर्व संचालित समस्त केन्द्र पोषित एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं को एक अम्ब्रेला के अन्तर्गत लाते हुए नई सेन्ट्रल स्कीम के रूप में "ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंन्ट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज" योजना दिनांक 30 जून, 2016 से लागू की गयी थी, जो दिनांक 31.03.2020 तक प्रभावी रही।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढाये जाने हेतु "ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंन्ट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज" योजना के स्थान पर दिनांक 20 मई, 2020 से एक नई केन्द्रीय योजना "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" (पी0एम0एम0एस0वाई0) को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं तथा केन्द्र पोषित योजनाएं समाहित हैं। यह योजना 05 वर्ष तक अर्थात प्रदेश में वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक क्रियान्वित किया जाना है। "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" (पी0एम0एम0एस0वाई0) को लागू किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक-जे0-117012-3/2020, दिनांक 24 जून,2020 के माध्यम से इस योजना के संचालन व क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश (गाइड लाइन्स) निर्गत किये गये हैं। "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" को प्रदेश में लागू किये जाने व उसके क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित मार्ग-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :-

(1) योजना का उद्देश्य:-

1.1 मात्स्यिकी क्षमता का सतत, उत्तरदायी, समावेशी और सामयिक तरीके से विदोहन करना;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1.2 मात्स्यिकी उत्पादन में विस्तारीकरण, सघनतापूर्वक एवं विविधीकरण के माध्यम से वृद्धि करना एवं भूमि व जल का उपजाऊ उपयोग करना ;

1.3 मूल्य वर्धित श्रृंखला का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं मत्स्य निकासी के बाद के प्रबन्धन व गुणवत्ता में सुधार ;

1.4 मछुआरों व मत्स्य पालकों की आय को दोगुनी करना व रोजगार सृजन ;

1.5 कृषि के सकल मूल्य वर्धित एवं निर्यात में मात्स्यिकी गतिविधियों की हिस्सेदारी बढ़ाना;

1.6 मछुआरों व मत्स्य पालकों को सामाजिक व आर्थिक जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना;

1.7 मजबूत मत्स्य प्रबन्धन और नियामक ढांचा तैयार करना ;

(2) योजना की अवधि:-

यह योजना वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्ष के लिए लागू की जानी है। भारत सरकार द्वारा योजना में धनराशि रु0 20050.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। योजना के माध्यम से देश का मत्स्य उत्पादन 13.75 मिलियन मीट्रिक टन से 22 मिलियन मीट्रिक टन तक ले जाना है तथा 15.00 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य है। मछली की घरेलू खपत की 5 कि0ग्रा0 से 12 कि0ग्रा0 प्रतिव्यक्ति तक वृद्धि करने का उद्देश्य भी है।

(3) वित्त पोषण पद्ति (Funding Pattern) :–

भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत धनराशि रु0 20050.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है, जिसमें से केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (Centrally Sponserd schemes) के लिए धनराशि रु0 18330.00 करोड़ मात्राकृत की गयी है तथा केन्द्र पोषित योजनायें (Central Sector Schemes) की योजनाओं के लिए धनराशि रु0 1720.00 करोड़ मात्राकृत है। केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में धनराशि रु0 7687.00 करोड़ केन्द्रांश के रूप में एवं धनराशि रु0 4880.00 करोड़ राज्यांश व धनराशि रु0 5763.00 करोड़ लाभार्थी के अंश के रूप में मात्राकृत की गयी है।

केन्द्र पोषित योजनाओं में शत-प्रतिशत भारत सरकार की हिस्सेदारी है तथा केन्द्र सरकार की क्रियान्वयन संस्थाओं के माध्यम से सीधे लाभार्थीपरक व समूह आधारित योजनायें संचालित होंगी, उनमें सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को कुल इकाई लागत का 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति व महिला लाभार्थियों को कुल इकाई लागत का 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि व 40 प्रतिशत राज्यांश की हिस्सेदारी होगी। प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत अलाभार्थीपरक योजनाओं में परियोजना लागत की 60 प्रतिशत केन्द्रांश व 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि का प्रावधान है। लाभार्थीपरक योजनाओं में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को कुल इकाई लागत का 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति व महिला लाभार्थियों को कुल इकाई लागत का 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) कार्यान्वयन संस्थायें:-

प्रश्नगत योजना के संचालन व नियोजन के लिए प्रदेश का मत्स्य विभाग मुख्य कार्यान्वयन संस्था (Nodal Implenenting Agency) होगा। इसके अतिरिक्त निम्न संस्थायें भी कार्यान्वयन संस्थायें हो सकती हैं,जो प्रदेश के मत्स्य विभाग के माध्यम से अपने प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित कर सकती हैः-

1.राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी संस्थायें।

2.राज्य मात्स्यिकी विकास बोर्ड।

3.भारत सरकार द्वारा नामित अन्य संस्थायें।

(5) लाभार्थी:-

प्रश्नगत योजना में निम्नांकित लाभार्थी बन सकते हैं:-

(1) मछुआ

(2) मत्स्य पालक

(3) मत्स्य कार्यकर्ता एवं मत्स्य विक्रेता

(4) उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड

(5) मात्स्यिकी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह

(6) मात्स्यिकी क्षेत्र की सहकारी समितियां

(7) मात्स्यिकी क्षेत्र के सहकारी संघ

(8) उद्यमी एवं निजी फर्म

(9) फिश फार्मर प्रोड्यूशर आर्गेनाईजेशन/कम्पनीज (FFPOs/Cs)

(10) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं दिव्यांगजन।

(11) राज्य सरकार की कार्यान्वयन संस्थायें

(12) राज्य मात्स्यिकी विकास बोर्ड।

(6) योजना का क्रियान्वयन:-

6.1 मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार की सेंट्रल एपेक्स कमेटी (सी0ए0सी0) परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता के मानकों का निर्धारण करेगी।

6.2 राज्य सरकार यदि चाहे तो केन्द्र द्वारा निर्धारित सहायता से अधिक सहायता अपने वित्तीय संसाधनों से कर सकती है।

6.3 राज्य सरकार अन्य योजनाओं से अभिसरण (कन्वर्जेस) करते हुए अपना मात्स्यिकी प्लान तैयार करेगी।

6.4 लाभार्थीपरक परियोजनाओं में यदि लाभार्थी किसी वित्तीय संस्था से वित्तीय सहायता चाहता है तो नाबार्ड एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम व अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से लाभार्थियों को लिंकेज के रूप में प्रश्नगत योजना में सहायता प्रदान करेंगे।

6.5 भारत सरकार प्रत्येक वर्ष केन्द्रपोषित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का आवंटन निर्धारित करेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6.6 योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए एम0आई0एस0 पोर्टल विकसित किया जायेगा।

6.7 लाभार्थीपरक योजनायें क्षेत्र विशेष के अनुसार क्लस्टर में क्रियान्वित होगी।

6.8 प्रश्नगत योजना को उद्यमिता व व्यवसायिक माडल पर क्रियान्वित करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

6.9 लघु एवं सीमान्त मत्स्य पालकों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए परियोजना/योजना में व्यक्तिगत लाभार्थी अधिकतम 2.00 हेक्टेयर की सीमा तक लाभ प्राप्त कर सकेगा, परन्तु यदि योजना समूह के माध्यम से संचालित होती है तो यह सीमा 2.00 हेक्टेयर प्रतिव्यक्ति के गुणांक में अधिकतम 20.00 हेक्टेयर की सीमा निर्धारित है।

6.10 फिश फार्मर प्रोड्यूशर आर्गेनाइजेशन (FFPOs)के लिए वित्तीय सहायता व इकाई/क्षेत्र की अधिकतम् सीलिंग भारत सरकार की सेंट्रल अपेक्स कमेटी (CAC) निर्धारित करेगी।

6.11 संविदा के आधार पर जल कृषि/मत्स्य पालन की संम्भावनाओं को भी तलाशा जायेगा।

6.12 मत्स्य उत्पादन में सतत वृद्धि हेतु नयी तकनीकों का इस्तेमाल किया जायेगा जिसमें More Crop Per Drop, Less Land More Production पर बल दिया जायेगा।इसके लिए बायोफ्लाक, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) व केज की योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया जायेगा।

6.13 यदि किसी परियोजना में निजी क्षेत्र की सहभागिता उचित व युक्तिसंगत पाई जाती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) पर विचार किया जा सकता है।

6.14 लाभार्थियों को विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा तथा प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

6.15 विस्तृत आगणन प्रस्ताव (D.P.R.) तैयार करने के लिए राज्य के शेड्यूल्स आफ रेट्स (S.O.R.) प्रयोग में लाये जायेंगे।

6.16 अवस्थापना सम्बन्धी परियोजनाओं का कार्य शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं से कराया जायेगा।

(7) संगठनात्मक संरचना:-

क-भारत सरकार के स्तर पर:-

योजना का क्रियान्वयन सचिव मत्स्य, भारत सरकार की अध्यक्षता में सेन्ट्रल एपेक्स कमेटी (CAC) द्वारा किया जायेगा। द्वितीय समिति प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी होगी जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद की अध्यक्षता में संचालित होगी। तृतीय समिति प्रोजेक्ट मानीटरिंग एवं एवेल्युएशन यूनिट होगी जो संयुक्त सचिव, मत्स्य विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में होगी तथा चौथी समिति प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट होगी, जिसके अध्यक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ख-राज्य सरकार के स्तर परः-

राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, मत्स्य विभाग उ0प्र0 की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval And Monitoring Committee) तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति (District Level Committee) के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। तात्कालिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत मत्स्य विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-22/2020/772/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020,दि0 09.07.2020 द्वारा जिला स्तरीय समिति (डी0एल0सी0) का गठन करते हुए उसके दायित्व निर्धारित किये जा चुके हैं। राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (एस0एल0ए0एम0सी0)का गठन व उसके दायित्वों का निर्धारण निम्नवत् हैः-

ख (1)राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (SLAMC) -

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर वार्षिक योजना तैयार करने, क्रियान्वयन व मूल्यांकन करने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मत्स्य की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत होगा :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, मत्स्य	-अध्यक्ष
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि या उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न अधिकारी	-सदस्य
3-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग या उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न अधिकारी	-सदस्य
4-(अ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज्य या उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न अधिकारी	-सदस्य
(ब) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास या उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न अधिकारी	-सदस्य
5-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,मत्स्य द्वारा निर्णीत मात्स्यिकी क्षेत्र के राज्यस्तरीय शोध संस्थान/शीर्ष अकादमिक संस्थान का एक प्रतिनिधि	-सदस्य
6- समन्वयक् राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	-सदस्य
7- निदेशक मत्स्य	-सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझते है तो अतिरिक्त राज्यस्तरीय अधिकारी को नामित कर सकेंगे।

इस समिति के अध्यक्ष एक या दो गैर-शासकीय सुप्रसिद्ध व्यक्ति, जो मात्स्यिकी क्षेत्र का ज्ञान रखते हों या इस क्षेत्र से संबंधित हों, को नामित कर सकेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ख (2) राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (SLAMC) के दायित्व-

(1) राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति, जनपदीय मात्स्यिकी वार्षिक योजनाओं को समेकित करने हेतु उत्तरदायी होगी एवं राज्य वार्षिक मात्स्यिकी योजना को तैयार एवं अनुमोदित करेगी तथा मत्स्य विभाग, भारत सरकार /राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड(एन0एफ0डी0बी0), हैदराबाद को संस्तुत करेगी।

(2) राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को राज्य स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करते हुये क्रियान्वित कराने हेतु उत्तरदायी भी होगी।

(3) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिये राज्य कार्यक्रम इकाई (एस0पी0यू0) होगी जो राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति को सहायता करेगी।

(4) राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को दूसरी योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence) के दायित्व का निर्वहन करेगी।

(5) राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की लाभार्थीपरक परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं के साथ लिंकेज को प्रोत्साहित करेगी।

राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की उक्त भूमिका एवं उत्तरदायित्व भारत सरकार द्वारा संचालित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" के अन्तर्गत संचालित होने वाली उपयोजनाओं एवं गतिविधियों हेतु होगा।

(ग) योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु मत्स्य निदेशालय स्तर पर एक स्टेट प्रोजेक्ट यूनिट (SPU) एवं भारत सरकार द्वारा चयनित जनपदों/ तहसीलों में क्रमशः डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट यूनिट एवं सबडिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट यूनिट स्थापित करते हुए योजना का संचालन किया जायेगा, जिसमें संविदा कर्मचारियों की संख्या व उनके वेतन इत्यादि के सम्बंध में भारत सरकार अलग से मानक निर्धारित करेगी। उक्त यूनिटों में संविदा कर्मचारियों को राज्य की नीति के अनुसार रखा जायेगा तथा उक्त यूनिटों के संविदा कर्मचारियों के वेतन सहित आने वाले समस्त व्ययभार भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(8) अभिसरण (Convergence)

प्रश्नगत योजना को केन्द्र सरकार की निम्न योजनाओं से अभिसरण किया जा सकेगा।

(1) पोस्ट हार्वेस्ट एवं कोल्ड चेन की सुविधा हेतु खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग की प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना।

(2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट (मनरेगा)

(3) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ।

(4) नेशनल रुरल लाइवलीहुड मिशन।

(5) किसान क्रेडिट कार्ड।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

आगामी वर्षों में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने एवं योजना के अनुमोदन हेतु समय-सारणी निम्नवत् होगी:-

9.1 केन्द्र सरकार प्रत्येक वर्ष के माह अक्टूबर में योजना हेतु प्रारम्भिक वार्षिक फण्ड निर्धारण के सम्बन्ध में सूचित करेगी।

9.2 जिला स्तरीय समिति प्रत्येक वर्ष के माह नवम्बर में अपनी वार्षिक योजना तैयार कर अनुमोदन करेगी।

9.3 राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में प्रदेश की वार्षिक समेकित कार्य योजना तैयार करेगी।

9.4 केन्द्रीय एपेक्स कमेटी के द्वारा राष्ट्रीय वार्षिक योजना माह फरवरी में तैयार कर उसका अनुमोदन करेगी।

9.5 प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक भारत सरकार का मत्स्य विभाग अंतिम वार्षिक परिव्यय राज्य सरकार को सूचित करेगा।

9.6 राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति माह अप्रैल के अंत में डी0पी0आर0 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को प्रेषित करेगी।

9.7 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड प्रत्येक वर्ष 15 मई तक डी0पी0आर0 का मूल्यांकन करेगी तथा माह मई के अंत में भारत सरकार का मत्स्य विभाग स्वीकृति जारी करेगा।

(10) भूमि एवं जलक्षेत्र

10.1 प्रश्नगत योजना में भूमि क्रय हस्तांतरण पट्टा, उपहार व अधिग्रहण हेतु कोई धनराशि परियोजना में देय नहीं होगी।

10.2 परियोजना के लाभार्थी/कार्यान्वयन संस्था को वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि प्रश्नगत परियोजना की भूमि सभी प्रकार से विवाद रहित व अतिक्रमण रहित है तथा सभी वैधानिक स्वीकृतियां भी उसे उपलब्ध करानी होंगी।

10.3 दीर्घ अवधि की पट्टे पर ली गयी भूमि को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने पर योजनान्तर्गत विचार किया जा सकता है तथा अवस्थापना सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष व गैर अवस्थापना सम्बंधी परियोजनाओं के लिए 7 वर्ष निर्धारित है।

10.4 पट्टे/प्रवेश अनुमन्य (Enter Upon Permission) के जलक्षेत्रों की परियोजनाओं के भी वित्तीय पोषण हेतु योजना में विचार किया जायेगा, परन्तु पट्टे की अवधि राज्य की निर्धारित पट्टा नीति के तहत ही अनुमन्य होगी।

10.5 समस्त पट्टा विलेख पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

10.6 पट्टे की भूमि पर स्थापित यदि कोई परियोजना विफल होती है तो सम्बन्धित लाभार्थी/कार्यान्वयन संस्था को सम्पूर्ण सहायतित धनराशि 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस करनी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) निवेश पूर्व गतिविधियां (प्री इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज)

11.1 विस्तृत परियोजना प्रस्ताव योजना तैयार करने हेतु व्यय की गई धनराशि गाइडलाइन्स में परियोजनाओं के लिए दी गयी इकाई लागत का भाग होगी।

11.2 आवश्यक निवेश पूर्व गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु निर्धारित इकाई लागत के 01 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा (अधिकतम सीमा रु0 150.00 लाख मल्टीकरोड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए)।

11.3 परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अधिकृत इकाई से अनुमोदित होने की दशा में ही केन्द्रांश की धनराशि लाभार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) अन्य बिन्दु -

12.1 योजनाओं के संचालन हेतु कुल अनुमन्य केन्द्रांश का 2.5 प्रतिशत केन्द्र सरकार प्रशासकीय व्यय के रूप में प्रदान करेगी।

12.2 किसी परियोजना में मूल्य वृद्धि होती है तो पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा एवं उनकी स्वीकृति के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

12.3 योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत की गयी गाइडलाइन्स एवं उसमें निहित प्राविधानों एवं उल्लिखित इकाई लागतों व शर्तों इत्यादि को यथावत अंगीकृत करते हुए प्रदेश में संचालित किया जाना है।

12.4 विभागीय परियोजनाओं में कुल लागत का मैचिंग 40 प्रतिशत राज्यांश तथा 60 प्रतिशत केन्द्रांश के माध्यम से व्यय किया जाना निर्धारित है।

4- "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अंतर्गत आवंटित धनराशि को अनुदानसं0-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन,101-अंतर्देशीय मछली पालन,01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) हेतु अनुदान के नाम से वित्त विभाग से नया लेखा शीर्षक आवंटित कराकर व्यय किया जाना है।

5- "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना"(पी0एम0एम0एस0वाई0) के स्वरूप अथवा दिशा-निर्देशों में भारत सरकार के स्तर से यदि भविष्य में कोई संशोधन किया जाता है या कोई नया बिन्दु सम्मिलित किया जाता है, अथवा राज्य सरकार के स्तर से संदर्भित योजना के दिशा-निर्देशों में भविष्य में संशोधन की कोई आवश्यकता पायी जाती है,तो उक्त संशोधित स्वरूप पर मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उसे लागू किया जायेगा ।

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-31/2020/1047(1)/ सत्रह-म-2020 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन / वित्त/ न्याय/ ग्राम्य विकास/ सिंचाई/ कृषि/ पंचायतीराज / संस्थागत वित्त /राजस्व / खाद्य एवं प्रसंस्करण/ कार्मिक विभाग, उ0प्र0शासन ।

3- विशेष कार्याधिकारी,कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

4- मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद,तेलंगाना ।

5- समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।

6- समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।

7- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।

8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ।

9- निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10- समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0लखनऊ।

11- समस्त उप निदेशक मत्स्य उ0प्र0 ।

12-समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0।

13- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण,उ0प्र0।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com